UPBJ010003372022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP06074

सत्रवाद संख्या 41/2022

सरकार बनाम सतेन्द्र चौहान आदि

आरोप

मै अवधेश कुमार, विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0एक्ट (पी.ए.) बिजनौर आप अभियुक्तगण **सतेन्द्र चौहान, सोमपाल, शीशपाल व रिंकू** को निम्नवत आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 31.08.2021 समय 20:00 बजे वहद ग्राम मकसूदाबाद थाना अफजलगढ जिला बिजनौर की सीमान्तर्गत आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा शिवराज सिहॅ व उसके भाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा शिवराज सिहॅ को धारदार खतरनाक हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 324/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा शिवराज सिहॅ को मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 325/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा शिवराज सिहॅ व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने भा0द0स0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व जनता के दृष्टिगोचर स्थान पर आ **सतेन्द्र सिहॅ** ने वादी मुकदमा शिवराज सिहॅ व उसके भाई को अपमानित करने के आशय से मारपीट कर जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 3 (1)

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.06.07 11:52:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

द एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप **सतेन्द्र सिहॅ** ने वादी मुकदमा शिवराज सिहॅ व उसके भाई को मारपीट कर जान से मारने की धमकी यह जानते हुए दी कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा **3 (1) ध** एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक 06–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक 06–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट)
बिजनौर।

UPBJ010003372022

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)** – UP06074

सत्रवाद संख्या 41/2022

सरकार **बनाम** **सतेन्द्र चौहान आदि**

06–06–2023

पत्रावली आरोप हेतु पेश हुयी। पुकार कराई गयी। पुकार पर अभियुक्तगण **सतेन्द्र चौहान, सोमपाल, शीशपाल व रिंकू** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त सतेन्द्र सिहॅ जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित है।

पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्त **सतेन्द्र चौहान** के विरूद्व धारा 323/34, 324/34, 325/34, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्तगण **सोमपाल, शीशपाल व रिंकू** के विरूद्व धारा 323/34, 324/34, 325/34, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किया जाए।

दिनॉक 06–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।

उपरोक्तानुसार अभियुक्त **सतेन्द्र चौहान** के विरूद्व धारा 323/34, 324/34, 325/34, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एस.टी. एक्ट एवं अभियुक्तगण **सोमपाल, शीशपाल व रिंकू** के विरूद्व धारा 323/34, 324/34, 325/34, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की याचना की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक –06–2023 को पेश हो, गवाहान तलब हो।

दिनॉक 06–06–2023

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0(पी.ए.)एक्ट
बिजनौर।